हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 150/दावा/2016 मोहन दरोगा vs मोतीलाल दरोगा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

93 4/25

पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि खसरा संख्या 593 रकबा 7 बिस्वा गे0मु0चाह0 है। उक्त चाह अन्य कृषि भूमि खसरा संख्या 338/1 व 338/2 के साथ प्रार्थीगण के पूर्वजों ने अप्रार्थीगण के पिता से दिनांक 19.12.1970 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदी थी जिनमें से अन्य भूमियों का तो प्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम नामान्तकरण दर्ज हो गया था। परन्तु खसरा नम्बर 593 प्रार्थीगण के नाम दर्ज नहीं हुआ है। जो कि वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज है। उक्त चाह से प्रार्थीगण खसरा संख्या 338/1 की सिंचाई करते है। प्रार्थी के पूर्वजों द्वारा खसरा संख्या 593 में निहित अपने हिस्से 1/3 पर हिस्सेदार की हैसियत से काबिज चले आ रहे है व उपयोग उपभोग कर रहे है। अप्रार्थीगण उक्त खसरा संख्या नम्बर में निहित प्रार्थी के हिस्से पर उपयोग उपभोग में दखलंदाजी कर रहे है। इनको पाबंद किया जावे। खण्डन में वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया कि खसरा संख्या 593 हमारी खातेदारी में दर्ज है जिस पर हम काबिज काश्त है। वर्ष 1970 में इनके पूर्वजों द्वारा यदि इस खसरा संख्या में से हिस्सा क्रय किया गया था तो उसका नामान्तकरण क्यों नहीं खुला इनको नामान्तकरण की अपील करनी चाहिए थी। दावा दायर करते समय भी हमारा ही कब्जा रहा है। इनके द्वारा विवादित भूमि को क्रय करना या उस पर इनका हक या अधिकार होना साक्ष्य में तय होना है। भूमि हमारी खातेदारी में होने से हमे पाबंद नहीं किया जावे। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जावे। वकील अप्रार्थीगण के उक्त तथ्यों के पुनः खण्डन में वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि विवादित भूमि में हम हिस्सेदार पंजीयन से बने है। पंजीकृत विक्रय पत्र में विवादित भूमि में से हिस्से का पंजीयन हमारे पूर्वजों के नाम होने से हम चाह के उपयोग उपभोग करने के अधिकारी है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इनको पाबंद किया जावे।

हमने वकील पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध छायाप्रति पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 19.12.1970 में अप्रार्थी के पूर्वजों द्वारा किये गये बेचाननामें

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

P.T.O. →

तारीख हुक्म _	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

में चाह खसरा संख्या 338/2 में से हिस्सा प्रार्थीगण के पूर्वजों को बेचान की गई थी। जिसके वर्तमान खसरा संख्या 593 बने है। विवादित खसरा संख्या में प्रार्थीगण के पूर्वजों का क्रय से हिस्सा निहित होने से प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण को उनके हिस्से पर दखलदांजी नहीं करने व उपयोग उपभोग करने में बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद करवाने के अधिकारी है केवल नामान्तकरण कार्यवाही में अंकन छूट जाने से प्रार्थीगण को उसके हको व अधिकारों से वंचित किया जाना न्यायोचित नहीं है। विवादित खसरा नम्बर में से हिस्सा प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा क्रय करने से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के हित में बनता है। प्रार्थीगण को चाह के उपयोग में बाधा उत्पन्न होने से उन्हे अपूर्णीय क्षति की संभावना बनी हुई है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला बाद स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादति भूमि खसरा संख्या 593 गे0मु0चाह0 वाके ग्राम सावंतगढ पटवार मण्डल सावंतगढ में निहित प्रार्थीगण के 1/3 हिस्से का उपयोग व उपभोग करने में तथा पानी लेने व सिंचाई करने में बाधा उत्पन्न नहीं करें, चाह से बेदखल नहीं करें, रहन बेचान नही करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली